13

संख्या– /XXIV–4/2012–9(46)/2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2012

विषयः–जनता इण्टर कालेज, सीकू जनपद पौड़ी गढ़वाल का प्रान्तीयकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक नियोजन–1/26287/ज0इ0का0 सीकू (प्रान्तीय0)/2008–09 दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 एवं पत्र संख्या 5–ख(3) 72175/सीकू (प्रान्तीय0)/2010–11, दिनांक 06 दिसम्बर, 2010 के सन्दर्भ में श्री राज्यपाल महोदय जनता इण्टर कालेज, सीकू जनपद पौड़ी गढ़वाल को शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा वास्तविक रूप से अधिग्रहण की तिथि जो भी बाद में हो, प्रान्तीयकरण किये जाने एवं विद्यालय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश के दिनांक अथवा नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से 29 फरवरी, 2013 तक बशर्ते कि यह पद इसके पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जायें, अस्थायी पदों को सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र0सं0	पदनाम	वेतन बैंड (रु में)	ग्रेड वेतन (रु में)	सृजित पदों की संख्या
1.	प्रधानाचार्य	15600–39100	7600	01
2.	प्रवक्ता	9300–34800	4800	06
3.	सहायक अध्यापक	9300–34800	4600	08
4.	प्रवर सहायक	5200–20200	2400	01
5.	कनिष्ठ सहायक	5200–20200	1900	02
6.	दफ्तरी	4440–7440	1300	01
7.	परिचारक	4440–7440	1300	06
			योगः–	25

2. उपर्युक्त पद शिक्षा के सम्बन्धित संवर्ग में अस्थायी वृद्धि के रूप में मानें जायेंगें। इन पदों के पदधारकों को समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे।

3. राज्यपाल महोदय प्रान्तीयकृत जनता इण्टर कालेज, सीकू जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रधानाचार्य को अपने विद्यालय से संबन्धित व्ययों के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी भी घोषित करते है।

4. प्रान्तीयकरण की तिथि से इस विद्यालय का सम्पूर्ण व्यय राजस्व–व्ययक से सीधे सरकारी खर्च के रूप में वहन किया जायेगा तथा अन्य राजकीय विद्यालयों की भांति इस

2..

विद्यालय को भी जिला शिक्षा अधिकारी के प्रशासनिक अधिकार में दिया जायेगा जो शिक्षा निदेशक उत्तराखण्ड द्वारा प्रसारित सामान्य नियमों के अनुसार इसका संचालन करेंगे। प्रश्नगत विद्यालय की भूमि/भवन आदि सभी चल–अचल सम्पत्ति शासन को स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। विद्यालय की आय में (प्रान्तीयकरण की तिथि से तथा विद्यालय की अवशेष क्लेम की बकाया रकम, कोष चन्दे से प्राप्त रकम, दान से प्राप्त धनराशि तथा छात्रों से ली गई फीस की धनराशि सम्मिलित है) राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्त आय सम्बन्धित शीर्षक में जमा कर दी जायेगी। प्रान्तीयकरण पर यह विद्यालय बिना दायित्व तथा अन्य भार के शासन को सौंप दिया जायेगा। प्रान्तीयकरण से पहले की देनदारी यदि बाद में निकल आयी, तो उसका दायित्व शासन पर नहीं होगा।

5. उपर्युक्त विद्यालय में वास्तविक रूप से कार्य कर रहे वर्तमान स्टाफ को, जो प्रान्तीयकरण की तिथि को निर्धारित योग्यता रखते हो, इस शासनादेश में स्वीकृत पदों के विपरीत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा। इन पदधारकों की ज्येष्ठता का निर्धारण का पूर्ण अधिकार शासन तथा शिक्षा विभाग को होगा। इन पदधारकों को राजकीय सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण करना तभी सम्भव होगा, जब ये सक्षम अधिकारी अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा अन्ततः योग्य घोषित कर दिये जायेंगे। ऐसे प्रश्नगत स्टाफ का वेतन सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित होगा।

6. इस शासनादेश में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों में से आवश्यक स्टाफ को ही मानकानुसार रखा जायेगा तथा अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों को नियमानुसार अन्यत्र राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा।

7. ऐसे पदधारक जो निर्धारित योग्यता न रखते हों अथवा जिन्हें शासन के सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त न हो, का सरकारी सेवा में स्थायी रूप से विलीनीकरण सम्भव नहीं होगा। तद्नुसार प्रश्नगत स्टाफ को चेतावनी दे दी जाय कि नियुक्ति अधिकारी अथवा विपरीत क्रम से उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी को लिखित रूप से दिये गये नोटिस के आधार पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी। ये कर्मचारी अपनी नई सेवा शर्तो को जो एक अस्थायी राज्य कर्मचारी के अनुरूप होगी, स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे।

8. भविष्य में लिपिक संवर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त होने/उक्त के सापेक्ष नियुक्त कार्मिकों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त होने पर इनके स्थान पर नियमित नियुक्ति कदापि नहीं की जायेगी एवं आउट सोर्सिंग के माध्यम से ही कार्य सम्पादन कराया जायेगा।

9. प्रान्तीयकरण की तिथि से विद्यालय में कार्यरत तदर्थ पी0टी0ए0 शिक्षकों का राजकीय सेवा में कदापि आमलेन न किया जाय।

10. इस विद्यालय का प्रान्तीयकरण अपवादस्वरूप है, अतऐव इस शासनादेश को अन्य प्रकरणों हेतु उदाहरण नहीं माना जायेगा।

11. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा– आयोजनेत्तर–109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय–08–अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीयकरण के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामें वहन किया जायेगा।

3..

11. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–32(NP)/XXVII(3)/2012–13 दिनांक 26 सितम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या–488 (1)/XXIV–4/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी को मा0 शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
7. सचिव, शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल।
8. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
9. वित्त विभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ/शिक्षा अनुभाग–3 एवं शिक्षा अनुभाग–2.
10. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

HS